



उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-9  
सं0-111/9-9-2017-170ज/2006  
लखनऊ दिनांक 10 मई, 2017

अधिसूचना

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) की धारा 36 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करने और पथ विक्रय क्रिया-कलापों का विनियमन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017

- |                                    |   |     |  |
|------------------------------------|---|-----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1 | (1) | यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017' कही जायेगी।   |
|                                    |   | (2) | यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में लागू होगी।  |
|                                    |   | (3) | यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।   |
| परिभाषाएँ                          | 2 | (1) | जब तक विषय या संदर्भ से कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-  |
|                                    |   | (क) | 'अधिनियम' का तात्पर्य पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) से है;  |
|                                    |   | (ख) | 'पथ विक्रय प्रमाण पत्र' का तात्पर्य किसी पथ विक्रेता को ऐसे क्षेत्र जैसा, कि प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किया जाय, में पथ विक्रय हेतु प्राधिकृत करने के लिए नगर पथ विक्रय समिति द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र से है; |
|                                    |   | (ग) | 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;   |
|                                    |   | (घ) | 'निदेशक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी से है।            |
|                                    |   | (ङ) | 'अनुरक्षण शुल्क' का तात्पर्य पथ विक्रय परिक्षेत्र में किसी पथ विक्रेता को उपलब्ध कराई गई नागरिक सुख साधनों और सुविधाओं के निमित्त नगर पालिका द्वारा अवधारित धनराशि से है।  |
|                                    |   | (च) | 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत, से है;  |

- (छ) 'पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र' का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या परिक्षेत्र अथवा उसके भाग जहाँ पथ विक्रय गतिविधियाँ न चलाने की घोषणा की गई हो, से है।
- (ज) 'योजना' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 21 के अधीन तैयार की गई किसी योजना से है;
- (झ) "प्रतिबन्धित पथ विक्रय परिक्षेत्र" का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या किसी परिक्षेत्र अथवा उसके भाग, जहाँ कतिपय समयावधि के दौरान पथ विक्रय की गतिविधियों की अनुमति दी जाय, से है।
- (ञ) "प्रतिबन्ध मुक्त पथ विक्रय परिक्षेत्र" का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, अवस्थिति या किसी परिक्षेत्र या उसके भाग, जहाँ पथ विक्रेताओं को बिना किसी प्रतिबन्ध के पथ विक्रय सम्बंधी कियाकलापों की अनुमति दी जाय से है।
- (ट) "स्कीम" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 38 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्मित स्कीम से है;
- (ठ) "पथ विक्रय प्रभार" का तात्पर्य किसी पथ विक्रेता, जिसने पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो द्वारा भुगतान किये गये प्रभार से है।

(2) शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए कमशः समनुदेशित हैं।

प्रतिषेध

3

- (1) कोई भी व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पथ विक्रय प्रमाण पत्र के बिना किसी सार्वजनिक स्थान या खुली भूमि पर विक्रय के सम्बंध में कोई स्थान नहीं धरेगा, कोई सामान सम्प्रदर्शित नहीं करेगा या नहीं लगायेगा अथवा पथ विक्रय द्वारा सेवा या माल की विक्री नहीं करेगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति, पथ विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित क्षेत्रों या स्थानों से भिन्न किन्हीं क्षेत्रों या स्थानों में पथ विक्रय द्वारा अथवा फेरी करके अपना सामान नहीं बेचेगा या सेवा नहीं प्रदान करेगा।
- (3) किसी पथ विक्रेता को ऐसे किन्हीं क्षेत्रों और स्थानों, जिनके लिए उनके पास नगर पथ विक्रय समिति द्वारा प्रदत्त पथ विक्रय प्रमाणपत्र न हो, में पथ विक्रय कियाकलाप सम्बंधी कारोबार किये जाने का अधिकार नहीं होगा।

नगर पथ विक्रय समिति का गठन

4

- (1) अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में एक नगर पथ विक्रय समिति का गठन किया जायेगा। समिति का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिये होगा;

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई नगर पथ विक्रय समिति, अधिनियम और उसके अधीन बनाई गयी नियमावली और स्कीम के उपबंधों के अनुसार

कार्य नहीं कर रही है तो राज्य सरकार किसी नगर पथ विक्रय समिति को भंग कर सकती है और उक्त समिति के भंग किये जाने के दिनांक से तीन माह के भीतर एक नयी नगर पथ विक्रय समिति का गठन करेगी।

- (2) प्रत्येक नगर पथ विक्रय समिति में निम्नलिखित होंगे:-
- (क) यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, जो अध्यक्ष होगा;
  - (ख) सदस्य जिनकी संख्या निम्नलिखित होगी:-
  - (एक) नगर पंचायत के मामले में अनधिक दस,
  - (दो) नगरपालिका परिषद के मामले में अन्यून दस और अनधिक बीस और
  - (तीन) नगर निगम के मामले में अन्यून बीस और अनधिक चालीस;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा योग्यता के आधार पर पारदर्शी रीति से नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(घ) नगर पालिका क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, जिनका वयन नियम-5 के अधीन उपबंधित रीति से स्वयं में से किया जायेगा;

परन्तु पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के एक तिहाई सदस्य महिला पथ विक्रेताओं में से होगी।

परन्तु पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक तिहाई सदस्य, महिला पथ विक्रेताओं में से होंगे।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों तथा निःशक्त पथ विक्रेताओं को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

(ड.) शेष सदस्य, निम्नलिखित श्रेणियों में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे:-

(एक) अध्यक्ष, द्वारा नाम निर्दिष्ट नगर पालिका के सदस्य या पार्षद, जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी;

(दो) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी (जहाँ उपलब्ध हों),

(तीन) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा नामनिर्दिष्ट यातायात पुलिस का एक प्रतिनिधि;

- (चार) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय पुलिस का एक प्रतिनिधि, जो कि क्षेत्राधिकारी से कम रैंक का न हो;
  - (पाँच) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर स्तरीय पंजीकृत बाजार संगठनों और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी;
  - (छ) नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय कल्याण संघों से अनधिक दो सदस्य ;
  - (सात) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि;
  - (आठ) मुख्य प्रबन्धक द्वारा नाम-निर्दिष्ट लीड बैंक का एक प्रतिनिधि;
  - (नौ) आवास आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का एक प्रतिनिधि ;
  - (दस) किसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विकास प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि;
  - (ग्यारह) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि;
  - (बारह) राज्य लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि;
  - (तेरह) उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विद्युत निगम का एक प्रतिनिधि;
  - (चौदह) राज्य अग्नि शमन विभाग के पुलिस अधीक्षक (अग्निशमन) द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य अग्निशमन विभाग का एक प्रतिनिधि;
  - (पन्द्रह) यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट नगरपालिका का एक अधिकारी जो सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (3) यदि राज्य सरकार की राय में नगर पथ विक्रय समिति का कोई सदस्य अधिनियम या इस नियमावली द्वारा उसके अधीन अधिरोपित अपने कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक करता है अथवा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उस सदस्य को नगर पथ विक्रय समिति से हटा सकती है।



पथ विक्रेताओं के 5 (1) पथ विक्रेताओं से कोई सदस्य निम्नलिखित रीति से  
मध्य निर्वाचन की  
रीति

- निर्वाचित किया जायेगा:-
- (क) सम्बंधित नगरपालिका ऐसी नगर पालिका में प्रसारण वाले किन्हीं दो प्रमुख दैनिक सामाचार पत्रों में, नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिये पथ विक्रेताओं के पंजीकृत संघों से आवेदन-पत्र आहूत करने के लिए सूचना प्रकाशित करेगी। सूचना की एक प्रति उक्त नगरपालिका की अधिकारिता के अधीन आने वाले स्थानीय बाजारों के सहजदृश्य स्थानों पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
  - (ख) अन्य बातों के साथ पूर्वोक्त सूचना में सूचना के प्रकाशन का दिनांक, आवेदन पत्र का प्रपत्र अन्तिम दिनांक, और आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की रीति अन्तर्विष्ट होगी।
  - (ग) पूर्वोक्त सूचना, नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र जमा करने के अन्तिम दिनांक से तीस दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी।
  - (घ) कोई व्यक्ति, किसी संघ का सदस्य होने पर, परिचय प्रमाण पता और चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए अपने संघ में आवेदन कर सकता है।
  - (ङ) पथ विक्रेताओं का संघ खण्ड (घ) के अधीन तदनिमित्त आवेदित सदस्यों में से अपने सदस्यों को निर्वाचित कर सकता है और नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिये संस्तुति कर सकता है।
  - (च) नगरपालिका, खण्ड(ङ) के अधीन संस्तुत आवेदकों के विवरण, विशेष रूप से नगरपालिका की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले पथ विक्रय क्षेत्र में कार्य अनुभव का व्यौरा और ऐसे अन्य विवरण जिसे वह उचित समझे के संबंध में सूचनायें प्राप्त करेगी।
  - (छ) खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट संस्तुतियों प्रस्तुत होने पर, नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी प्रत्येक संस्तुत आवेदक को एक विशिष्ट आवेदन-पत्र संख्या आवंटित करेगा और पथ विक्रेता संघों के साथ साथ सभी आवेदकों को संसूचित करेगा।
  - (ज) यदि प्राप्त संस्तुतियों अपेक्षित संख्या से अधिक हों तो नगरपालिका अपेक्षित सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर करेगी। ऐसी लाटरी हितबद्ध पक्षों की उपस्थिति में सम्पन्न की जायेगी।
  - (झ) नगरपालिका, पूर्वोक्त सूचनायें और नगर पथ विक्रय समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की सूची भी अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी तथा इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेगी।

(ज) नगर पथ विक्रय समिति की रचना, सम्बन्धित नगरपालिका की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी और इस सम्बन्ध में एक प्रेस नोट जारी की जायेगी।

नगर पथ विक्रय 6  
समिति के कृत्य

(2) नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी उपनियम (1) के अधीन निहित उद्देश्य के लिये नगर पालिका के तीन अधिकारियों की एक समिति स्थापित कर सकता है।

नगर पथ विक्रय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण संचालित करना और, पथ विक्रय परिक्षेत्र की धारण क्षमता और प्रतिमानों के अध्याधीन पथ विक्रय परिक्षेत्र में उनको स्थान देना सुनिश्चित करना;
- (ख) ऐसी निबन्धन और शर्तों के अध्याधीन और पथ विक्रेताओं की योजना में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों को सम्मिलित करते हुए ऐसी अवधि, जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट हो के अन्तर्गत पथ विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करना;
- (ग) जहाँ पथ विक्रेता पथ विक्रय के विनियमन के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं निबन्धन या शर्तों का उल्लंघन करता है वहाँ उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात उसके पथ विक्रय प्रमाण-पत्र को निरस्त या निलम्बित करना;
- (घ) प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसे पथ विक्रय प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है को परिचय पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करना;
- (ङ.) नगरपालिका द्वारा पथ विक्रेताओं को दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का अनुश्रवण करना;
- (च) बिना प्रतिबन्ध के पथ विक्रय क्षेत्र, दिनांक, दिवस और समय से सम्बन्धित प्रतिबन्धित क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों, जिन्हें पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र चिह्नित किया जायेगा, के सीमांकन के लिए नगरपालिका को संस्तुति करना;
- (छ) अधिनियम की 'प्रथम अनुसूची' में अन्तर्विष्ट विषय वस्तु को आच्छादित करते हुए पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु योजना तैयार करने के लिए नगर पालिका को संस्तुति करना;
- (ज) प्राकृतिक बाजारों के अवधारण के लिए नगरपालिका को संस्तुति करना;
- (झ) पथ विक्रय के लिए निबन्धन एवं शर्तों को नियत करना;
- (ञ) शुल्क और अन्य प्रभारों को संग्रह करना;
- (ट) पथ विक्रेताओं को कोई क्षेत्र या कोई स्थान या कोई

अवस्थिति उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मानकों का विनिश्चय करना;

- (ठ) साप्ताहिक बाजारों की निरन्तरता और उनका उच्चीकरण सुनिश्चित करना;
- (ड) अधिनियम की धारा 38 के अधीन बनाई गई पथ विक्रय स्कीम के क्रियान्वयन और निष्पादन का अनुश्रवण करना;
- (ढ) समय-समय पर पथ विक्रय शुल्क नियत करना;
- (ण) नगरपालिका या राज्य सरकार को समय समय पर विवरणी या वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
- (त) पथ विक्रेताओं के अभिलेख विस्तृत रूप से अनुरक्षित और अद्यावधिक रखना;
- (थ) पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना,
- (द) उसके क्रियाकलापों की सामाजिक सम्परीक्षा क्रियान्वित करना;
- (ध) पथ विक्रेताओं को साख, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमों को उपलब्ध कराने सम्बंधी प्रोत्सायन उपायों को अपनाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजना;
- (न) प्रत्येक पथ विक्रय परिक्षेत्र में अधिकतम धारण क्षमता का मूल्यांकन और अवधारण करना;
- (प) नगरपालिका में पथ विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि या कमी के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण/जनगणना करना;
- (फ) यह सुनिश्चित करना कि जनता को उपलब्ध कराये गये उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता नगरपालिका तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित लोक स्वास्थ्य, आरोग्य और सुरक्षा के मानकों के अनुरूप है;
- (ब) नगर/शहर/बाजार निर्माण दिवस आदि सहित महत्वपूर्ण अवसरों, अवकाशों को मनाने के लिए साप्ताहिक बाजारों, त्योहारी बजारों, रात्रिकालीन बजारों के संघों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सुविधा प्रदान करना;
- (भ) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे चल-पथ विक्रेता जिन्हें स्टाल/पथ विक्रय स्थल/पथ विक्रय क्षेत्र आवंटित हैं, वे वास्तव में उनका उपयोग कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना कि इन्हें किराये पर नहीं दिया गया हो या न बेचा गया हो,
- (म) कोई अन्य कृत्य जैसा कि राज्य सरकार या सम्बंधित नगर पालिका द्वारा समय समय पर

नगर पथ विक्रय 7  
समिति की बैठक

(1)

समनुदेशित किया जाय।  
कारबार के सम्यवहार के लिए नगर पथ विक्रय समिति की बैठक, प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन माह में उस स्थान और उस समय, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय, नगर पालिका की अधिकारिता के अन्तर्गत की जायेगी।

(2)

स्थगित की गई बैठक के अलावा प्रत्येक बैठक में समव्यहृत किये जाने वाले कारबार की सूची, नगर पथ विक्रय समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए नियत किये गये समय से कम से कम अडतालिस घण्टें पूर्व भेज दी जायेगी।

परन्तु यदि कारबार की सूची डाक द्वारा भेजी जाय तो इसे इस प्रकार भेजी जाय कि उसे सदस्यों को निर्धारित समय के भीतर तामील की जा सके।

(3)

नगर पथ विक्रय समिति का अध्यक्ष, जब उचित समझे, समिति की बैठक आहूत कर सकता है और समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अधियाचन किये जाने पर समिति की बैठक आहूत करेगा।

(4)

नगर पथ विक्रय समिति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें नगर पथ विक्रय समिति के परिधि की विषय-वस्तु के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, को सहयुक्त कर सकती है और उसे या उन्हें वह भत्ता जो समिति द्वारा अवधारित किया जाय, संदत्त कर सकती है।

(5)

नगर पथ विक्रय समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित पथ विक्रेताओं और पदाधिकारियों के अतिरिक्त नियम-4 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और (ग) के उपबंधों के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नगर पथ विक्रय समिति ऐसा भत्ता दे सकती है जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय। समिति की किसी बैठक में तब तक कोई कारबार संव्यवहृत नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्पूर्ण बैठक तक समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न रहें।

गणपूर्ति

8

नगर पथ विक्रय 9  
समिति की बैठक में  
विनिश्चय

(1)

समिति द्वारा विचारार्थ और विनिश्चय किये जाने हेतु अपेक्षित समस्त विषय, बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

(2)

मामले की अत्यावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समिति, कार्य सूची के परिचालन द्वारा विनिश्चय कर सकती है।

(3)

समिति की अगली बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि की जायेगी।

(4)

नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी किसी ऐसे एक अधिकारी को पदाभिहित करेगा, जो समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

नगरपालिका के किसी अधिकारी द्वारा पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

- (2) प्रत्येक पथ विक्रेता, अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करेगा।
- (3) पथ विक्रय प्रमाण पत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के अधीन जारी किया जायेगा, अर्थात् -
  - (क) स्थिर विक्रेता, या
  - (ख) चल विक्रेता, या
  - (ग) साप्ताहिक बाजार का विक्रेता, या
  - (घ) कोई अन्य श्रेणी जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट हो अथवा जैसा कि नगर पथ विक्रय समिति द्वारा अवधारित किया जाय।
- (4) निबन्धन और शर्तें, जिन पर प्रपत्र-2 में वचनपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, निम्नवत हैं:-
  - (एक) स्थिर पथ विक्रय के लिए स्थायी संरचना निर्माण करने पर रोक रहेगी;
  - (दो) पथ विक्रेता, नगरीय पथ विक्रय समिति द्वारा यथा अवधारित शुल्क का नियमित रूप से और समय पर संदाय करेगा;
  - (तीन) पथ विक्रय के दौरान जनित अपशिष्ट, सड़क, फुटपाथ या नाली या गलनाली में नहीं फेंका जायेगा। अपशिष्ट डस्टबिन में एकत्र किया जायेगा और घर-घर से अपशिष्ट एकत्र करने वाली नगरपालिका द्वारा अधिकृत अगिकरण को हस्तगत कराया जायेगा। इस सेवा हेतु उन्हें मासिक प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करना होगा।
  - (चार) प्रत्येक पथ विक्रेता, विक्रय-स्थल और उसके संलग्न क्षेत्रों में स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा। खाद्य पदार्थ बेचनेवाले पथ विक्रेता लोक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता को अनुरक्षित रखेंगे।
  - (पाँच) पथ विक्रय प्रमाण-पत्र में आबंटित स्थल और उल्लिखित समय पर ही पथ विक्रय किया जायेगा। इसका किसी प्रकार का उल्लंघन अधिनियम और उक्त स्कीम का उल्लंघन माना जायेगा और पथ विक्रेता अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित शास्ति, जिसमें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, का दायी होगा।
  - (छ) पथ विक्रेता नागरिक सुविधाओं का अनुरक्षण और पथ विक्रय परिक्षेत्र तथा संलग्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
  - (सात) पथ विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि पथ विक्रय की गतिविधियों के कारण यातायात/वाहनों का सुगम संचालन हो और लोक सुविधायें बाधित न हो।

11-

(आठ) पथ विक्रेता प्रतिबन्धित वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। वे ऐसी कोई गतिविधि/कार्य/व्यापार/सेवा-कार्य नहीं करेंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हों या लोक बाधा/उपताप उत्पन्न करते हों।

(नौ) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की, धारा 18 के उपबंधों के अधीन स्थान की उपलब्धता के आधार पर निकटवर्ती पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेता को पुनर्स्थापित किया जाय।

(दस) पैदल उपरिगामी सेतुओं और फलाईओवर पर कोई पथ विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप नहीं किया जायेगा;

(ग्यारह) पूजा स्थल के बाहर पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप करने और देवी-देवता को चढ़ाने हेतु भक्तों द्वारा अपेक्षित सामग्रियों यथा पुष्प, चंदन, काष्ठ, मोमबत्ती, अगरबत्ती, नारियल, चादर और मिष्ठान आदि का विक्रय करने की अनुमति दी जा सकती है। नगर पथ विक्रय समिति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस सम्बंध में विनिश्चय कर सकती है और पथ विक्रेताओं को इन निर्बंधनों और अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, विकलांग जनों, और अल्प संख्यकों के पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने में अधिमान दिया जायेगा।

(6) पथ विक्रय प्रमाण पत्र पांच वर्षों के लिये जारी किया जायेगा। यदि सभी निबन्धन और शर्तों का सच्चाई से अनुपालन किया गया हो और अधिनियम और नियमावली का उल्लंघन न किया गया हो तो पथ विक्रय प्रमाण पत्र आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जायेगा।

(7) प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसे पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, नगर पालिका को ऐसे पथ विक्रय शुल्क का भुगतान करेगा, जैसा कि नगर पथ विक्रय समिति द्वारा स्थानीय स्थितियों और पथ विक्रेताओं की श्रेणियों को दृष्टिगत रखते हुए नियत किया जाय।

(8) प्रत्येक पथ विक्रेता नगर पालिका को पथ विक्रय परिक्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई नागरिक सुख साधनों और सुविधाओं के लिए समय-समय पर ऐसे अनुरक्षण शुल्कों का भुगतान करेगा जैसा कि नगरपालिका द्वारा अवधारित किया जाय।

(9) जहाँ किसी पथ-विक्रय परिक्षेत्र में पथ-विक्रेताओं की संख्या उस परिक्षेत्र की धारणक्षमता से अधिक पाई जाय वहाँ नगर पथ विक्रय समिति, उस पथ-विक्रय परिक्षेत्र हेतु पथ-विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लाटरी निकालेगी। शेष पथ-विक्रेताओं को किसी पार्श्ववर्ती पथ विक्रय परिक्षेत्र, जहाँ पथ विक्रय के लिये समुचित स्थान

विक्रय परिक्षेत्रों का 15 (1)  
सीमांकन

उपलब्ध हो, में स्थान दिया जायेगा।

- (1) नगर पथ विक्रय समिति की संस्तुति पर नगर पालिका द्वारा प्रत्येक नगर पालिका में कुछ क्षेत्रों, स्थानों, वार्डों या परिक्षेत्रों या उनके आंशिक भाग को प्रतिबन्ध मुक्त पथ विक्रय परिक्षेत्र, प्रतिबन्धित पथ-विक्रय परिक्षेत्र और पथ-विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित किया जा सकेगा।
- (2) स्थिर पथ-विक्रेताओं, जो किसी विशिष्ट स्थान पर नियमित आधार पर पथ विक्रय कियाकलाप करते हों, के लिए सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा पथ-विक्रय स्थलों और पथ विक्रेता बाजारों का विनिश्चय किया जायेगा।
- (3) प्रत्येक नगर पालिका में चल पथ-विक्रेताओं के लिए एक या अधिक वार्डों को मिलाकर पथ-विक्रय परिक्षेत्र होंगे जहाँ वे अपनी वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम-घूम कर पथ विक्रय करते हुए अभिहित क्षेत्रों में पथ विक्रय सम्बन्धी कियाकलाप कर सकेंगे।
- (4) कतिपय स्थान, क्षेत्र, वार्ड या परिक्षेत्र प्रतिबन्धित पथ-विक्रय परिक्षेत्र के रूप में अभिहित किये जा सकेंगे जहाँ पथ-विक्रेता सम्बन्धित समय और दिन आदि में किसी प्रकार का विक्रय सम्बन्धी कियाकलाप नहीं कर सकेंगे।
- (5) कतिपय स्थल, क्षेत्र, वार्ड या परिक्षेत्र पथ-विक्रय रहित परिक्षेत्र के रूप में अभिहित किये जा सकेंगे जहाँ विक्रय सम्बन्धी कियाकलाप पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
- (6) नगर पालिका स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं, व्यावहारिकताओं और तर्काधार को दृष्टिगत रखते हुए, विक्रय परिक्षेत्रों के सीमांकन के उद्देश्यों से उपविधियाँ बना सकेंगी।

नये पथ विक्रय 16  
बाजार बनाने का  
उपबन्ध

शहर/नगर की महायोजना में, महायोजना, परिक्षेत्रीय योजनाओं और स्थानीय क्षेत्र की योजनाओं का अन्तिम रूप देते समय या उनका पुनरीक्षण करते समय नये पथ-विक्रय बाजार बनाने के लिए विशिष्ट उपबन्ध किये जायेंगे। ऐसी योजनाओं में आरक्षित स्थान पथ विक्रेताओं की वर्तमान संख्या और पूर्वगामी पाँच वर्षों की वृद्धिदर पर आधारित भावी वृद्धिदर के अनुरूप होना चाहिए।

पथ विक्रय प्रमाण पत्र 17 (1)  
का निरस्तीकरण या  
निलम्बन

- (1) पथ-विक्रय प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण या निलम्बन, नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (2) यदि किसी पथ-विक्रेता द्वारा किसी समय विहित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है अथवा उसके पथ विक्रय कियाकलापों से यातायात के संचालन में व्यवधान या उपताप सत्यापित हो जाता है तो पथ-विक्रय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
- (3) जहाँ पथ-विक्रय प्रमाण पत्र धारक, अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या स्कीम में विनिर्दिष्ट किसी भी



निबन्धन और शर्त को भंग करता है या दुर्व्यपदेशन, कपट अथवा कूट-रचना के माध्यम से पथ विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या कोई वस्तु, जो भी हो, यथा स्थिति उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी सार्वजनिक स्थान या किसी सार्वजनिक पथ पर फेंकी गयी हो या विक्रय के लिए खुली रखी गयी हो, वहां नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी जाँच और अनुसंधान की अवधि में उस समय तक जितना वह उचित समझे पथ विक्रय प्रमाण पत्र निलम्बित कर सकेगा अथवा प्रपत्र-4 में उसको कारण बताओं नोटिस जारी करने और सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् पथ विक्रय प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगा।

पथ विक्रेता का 18 (1)  
दायित्व

- (1) प्रत्येक पथ विक्रेता को पथ-विक्रय प्रमाण पत्र में उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों के अनुसार पथ-विक्रय क्रियाकलाप सम्बंधी कारबार करने का अधिकार होगा।
- (2) प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसके पास पथ-विक्रय प्रमाण पत्र हो, अपने पुनः स्थान निर्धारण की स्थिति में अपने पथ विक्रय-क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिये नगर पथ विक्रय समिति के परामर्श से नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित, यथा स्थिति, नये स्थल या क्षेत्र के लिए हकदार होगा।
- (3) जहाँ कोई पथ विक्रेता समयांश के आधार पर स्थान घेरता है, वहाँ उसे प्रतिदिन अनुमन्य रागयांश अवधि की समाप्ति पर अपनी वस्तुएं और सामग्री हटानी होगी।
- (4) प्रत्येक पथ विक्रेता, पथ-विक्रय परिक्षेत्र में नागरिक सुविधायें और लोक सम्पत्तियों को अच्छी स्थिति में अनुरक्षित रखेगा और उन्हें क्षतिग्रस्त या विनष्ट नहीं करेगा, और न ही क्षतिग्रस्त या विनष्ट करने देगा।
- (5) प्रत्येक स्थिर पथ-विक्रेता को, पथ विक्रय परिक्षेत्र में जहाँ समुचित रूप से उपलब्ध हो, 2 मीटर X 2मीटर से अनधिक क्षेत्र, इस रीति से उपलब्ध कराया जा सकेगा कि यानीय और पैदल यातायात में बाधा उत्पन्न न हो और दूकानों तथा आवासों तक की पहुँच बन्द न हो।
- (6) पैदल सेतुओं, उपरिगामी सेतुओं और फलाई ओवर के ऊपर पथ-विक्रय क्रियाकलाप नहीं किया जायेगा।
- (7) कोई पथ-विक्रेता जनता अथवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई वाद्ययन्त्र या संगीत बजाकर कोई शोर उत्पन्न नहीं करेगा।
- (8) प्रत्येक पथ विक्रेता, अपने पथ विक्रय स्थलों की सफाई के लिए नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों तथा नगरपालिका का कोई कार्य करने के लिए नगरपालिका के अन्य कर्मचारी-वर्ग को भी पूर्ण सहयोग देगा।
- (9) प्रत्येक पथ विक्रेता को अपना परिवेश शुद्ध एवं स्वच्छ



रखना होगा।

- (10) पथ-विक्रय क्षेत्र या स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (11) कोई पथ विक्रेता प्रतिबन्धित वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा।

पथ विक्रेता  
पुनर्स्थापन

का 19

- (1) पथ विक्रेता, जो पथ-विक्रय प्रमाण पत्र धारित करता हो, नगर पालिका द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकेगा यदि:-
- (क) किसी लोक प्रयोजन के लिए वार्ड या उसका आंशिक भाग या स्थान, पथ-विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित किया जाता है;
- (ख) नागरिक सुविधाओं या अन्य अवसंचनाओं के अनुरक्षण के लिए निर्माण और विकास का कार्य किया जाता है;
- (ग) यातायात और परिवहन में बाधा, अवरोध और विघ्न उत्पन्न हो;
- (घ) कानून और व्यवस्था बनाये रखने की स्थिति उत्पन्न होती है;
- (ङ) पथ-विक्रय परिक्षेत्र में पथ-विक्रेताओं की संख्या धारण क्षमता से अधिक हो;
- (च) यातायात और परिवहन का दबाव और वहाँ पर भीड़भाड़ हो;
- (छ) कोई अन्य कारण हो जो नगर पथ-विक्रय समिति की दृष्टि में उचित हो।
- (2) पुनर्स्थापन, स्थान की उपलब्धता परिवहन यातायात संचरण और जनसंख्या-घनत्व की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। नगरपालिका, नगर पथ-विक्रय समिति की संस्तुति पर उपरोक्त मानदण्ड और स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में क्षेत्र की धारण क्षमता अवधारित करेगी।
- (3) पथ विक्रेताओं के पुनर्स्थापन की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए की जायेगी:-
- (क) स्थान जिसके लिए पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, अत्यावश्यक लोक प्रयोजनों के लिए अत्यधिक रूप से अपेक्षित हो।
- (ख) पथ-विक्रेता का पुनर्स्थापन इस प्रकार किया जायेगा कि वह कम से कम अपनी आजीविका अनुरक्षित रखे।
- (ग) जहाँ तक सम्भव हो, पथ विक्रेता की आस्तियां बिनष्ट न की जायें।
- (घ) पथ विक्रेता को उचित विधि प्रक्रिया से भिन्न रूप में पुनर्स्थापित नहीं किया जायेगा;
- (ङ) प्राकृतिक बाजार, जहाँ पचास वर्षों से अधिक समय से पथ विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप किये जा रहे हों,

विरासत वाले बाजारों के रूप में घोषित किये जा सकते हैं और उनमें पथ-विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप करने वाले पथ-विक्रेताओं को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है;

- (च) किसी पथ विक्रेता के पुनर्स्थापन के लिए उसे प्रपत्र-5 में तीन दिवस की नोटिस दी जायेगी;
- (छ) किसी ऐसे पथ विक्रेता जो नोटिस में उल्लिखित समय के अन्तर्गत स्थान को रिक्त करने में विफल रहता है को बलपूर्वक उस स्थान से पुनर्स्थापित किया जायेगा जैसाकि नगर आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

पथ विक्रेता की 20  
बेदखली

नगरपालिका द्वारा किसी पथ विक्रेता को बेदखल किया जा सकता है, यदि:-

- (क) उसका पथ विक्रय प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 10 के अधीन रद्द किया जा चुका हो;
  - (ख) उसके पास विधिमान्य पथ विक्रय प्रमाण पत्र न हो;
  - (ग) वह बिना पथ विक्रय प्रमाण पत्र के पथ विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप करता हुआ/करती हुई पाया जाय/पायी जाय ;
  - (घ) वह अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन किया हो/की हो;
  - (ङ) नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उचित और न्यायसंगत समझे।
- (2) किसी पथ विक्रेता को प्रपत्र-6 में एक माह की नोटिस दिये जाने के पश्चात् ही बेदखल किया जायेगा।
- (3) यदि कोई पथ विक्रेता उपनियम (2) के अधीन नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है और स्थान रिक्त नहीं करता है तो नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उसे भौतिक रूप से बलपूर्वक, जैसा कि उचित समझा जाय बेदखल कर देगा।
- (1) यदि कोई पथ-विक्रेता स्थान रिक्त किये जाने की नोटिस का अनुपालन नहीं करता है तो एक माह की समाप्ति के पश्चात् नगर पालिका उस पथ विक्रेता के वस्तुओं को अभिगृहीत भी कर सकती है;
- (2) वस्तुओं को, अभिगृहीत और वापस लिये जाने की कार्यवाही अधिनियम की धारा 19 के उपबंधों के अधीन की जायेगी;
- (3) पथ विक्रेता अपने वस्तुओं को वापस लिये जाने के लिए यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है;
- (4) अभिगृहीत वस्तुओं को वापस लिये जाने के शुल्क का

वस्तुओं का अभिगृहण 21  
और वापस लिया  
जाना

अवधारण, नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नगर पालिका के किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा;

- (5) यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, उपनियम (4) के अधीन नियत शुल्क के भुगतान और पथ विक्रेता जिसकी वस्तुएं अभिगृहीत की गयी हों से, एक वचनपत्र कि वह बेदखल किये गये स्थान या परिक्षेत्र में स्थित किसी अन्य स्थान पर पथ-विक्रय सम्बंधी क्रियाकलाप नहीं करेगा प्राप्त करने के पश्चात वस्तुओं को मुक्त कर सकता है।

परिचय पत्र जारी 22 (1) किया जाना

प्रत्येक पथ-विक्रेता, जिसे पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, को नगर पथ विक्रय समिति द्वारा प्राधिकृत नगर पालिका के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिचय-पत्र प्रपत्र-7 में जारी किया जायेगा।

- (2) परिचय पत्र पथ विक्रेता की जेब में रखा जायेगा और नगर पथ-विक्रय समिति या नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा भोंग किये जाने पर दिखाया जायेगा।

पथ विक्रेताओं को 23 (1) उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायें

नगरपालिका द्वारा पथ-विक्रेताओं को पथ विक्रय परिक्षेत्र में उपलब्धता के अध्वधीन निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं:-

(क) ठोरा अपशिष्ट निस्तारण की सुविधा;

(ख) सार्वजनिक प्रसाधनो की सुविधा;

(ग) पेयजल की सुविधा;

(घ) प्रकाश व्यवस्था की सुविधा;

(ङ.) कोई अन्य सुविधा जो सम्बंधित नगर पालिका द्वारा आवश्यक समझी जाय ;

- (2) (क) किसी पथ-विक्रेता को वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सकता है जिससे कि उसे कारबार के संचालन में समर्थ बनाया जा सके। निजी अंशदानों और वित्तीय संस्थानों संसाधनों से ऋण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा सकता है। अनुदान प्रदान किये जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है;

(ख) पथ विक्रेताओं, जिन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो, के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की जा सकती है;

(ग) पथ विक्रेताओं की समाजिक प्रास्थिति के उन्नयन के लिए और सामाजिक सुरक्षा की कल्याणकारी योजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों, पथ विक्रेताओं समुदाय और संघों तथा अन्य कल्याणकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है।

- नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील 24
- (1) कोई व्यक्ति, जो नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्चय से व्यथित हो आदेश प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष, को अपील प्रस्तुत कर सकता है।
  - (2) अपील दाखिल किये जाने के समय नगर पथ विक्रय समिति के आदेश की प्रति और अन्य सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज उसके साथ संलग्न किये जायेंगे।
  - (3) अपीलार्थी अपने कागज-पत्र यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।
  - (4) सुनवाई का दिनांक नियत किया जायेगा और अपीलार्थी और साथ ही साथ नगर पथ विक्रय समिति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए समन भेजा जायेगा।
- पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान की रीति 25
- (1) शिकायतों के निवारण या विवादों के समाधान के लिए पथ-विक्रेता द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों पर विचार करने के प्रयोजनार्थ अधिशासी समिति या नगर पालिका द्वारा गठित समिति जिसमें नगर पालिका के यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष और नगरपालिका के दो अन्य सदस्य, सदस्य के रूप में होंगे, को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
  - (2) शिकायत या विवाद के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने पर समिति यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, से प्रकरण पर आख्यायें और टिप्पणियाँ एकत्र करेगी और आवेदन पत्र की प्राप्ति से एक माह के भीतर उस विवाद के निस्तारण के लिए कदम उठायेगी। इस सम्बंध में उठाये गये कदमों की संसूचना आवेदक को लिखित रूप से आवेदन पत्र प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर दी जायेगी।
  - (3) कोई व्यक्ति जो उपनियम (1) में गठित समिति के विनिश्चय से व्यथित हो उपनियम (2) के अधीन तदविषयक विवरण की संसूचना प्राप्ति से तीस दिवसों के भीतर नगर पालिका को अपील प्रस्तुत कर सकता है।
  - (4) नगरपालिका अपीलार्थी को समन जारी करेगी और उसे एक माह के अन्दर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अगले एक माह में अपील का निस्तारण कर सकती है।
- अनुश्रवण 26
- इस नियमावली और उक्त अधिनियम में विहित उपबन्धों का अनुश्रवण निम्नलिखित स्तरों पर किया जायेगा:-
- (क) नगर पथ-विक्रय समिति इस नियमावली में उल्लिखित नीतियों और उपबन्धों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने के लिये उत्तरदायी होगी;
  - (ख) नगर पथ विक्रय समिति अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रत्येक स्थिर या चल या साप्ताहिक बाजार के पथ विक्रेता के संबंध में ऐसे अद्यावधिक सूचना की पंजिका अनुरक्षित रखेगा,

जिसमें ऐसे पथ विक्रेता का नाम, उसे आवंटित स्थान, उसके द्वारा किये जा रहे कारबार या पथ विक्रय-कार्य की प्रकृति, पथ विक्रय की श्रेणी, अपील का विवरण, शिकायतों का निवारण, विवादों का समाधान, पथ विक्रय शुल्क, पंजीकरण शुल्क, शास्ति, अनुरक्षण शुल्क प्रयोक्ता प्रभार, रोकड़ बही, और पथ विक्रेताओं से सुसंगत अन्य विवरण अन्तर्विष्ट हो।

- (ग) नगरपालिका नगर पथ विक्रय समिति की कार्यप्रणाली और कियाकलापों पर निरन्तर निगरानी रखेगी;
- (घ) नगर पथ विक्रय समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होगा, यथाशक्य शीघ्र नगर पालिका के सम्मुख रखा जायेगा, जो तत्पश्चात् ऐसी कार्यवाही करेगी जैसा कि वह उचित समझे:-
- (एक) स्थिर, चल और साप्ताहिक बाजारों के पथ विक्रेताओं, जिन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो की संख्या;
- (दो) संग्रहीत राजस्व (लेखाशीर्षकवार);
- (तीन) किये गये उन्नयन संबंधी उपाय और अन्य उपाय ;
- (चार) प्राप्त और निस्तारित अपीलों की संख्या;
- (पाँच) निस्तारित शिकायतों और निपटाये गये विवादों की संख्या;
- (छ) उपगत व्यय ;
- (सात) पथ विक्रेताओं के कल्याण और उनकी समुन्नति के लिए उठाये गये कदम;
- (आठ) सर्वोत्तम कार्य पद्धतियाँ (यदि कोई हो)
- (नौ) विषयगत कोई अन्य उपलब्धि;
- (ड.) नगर पथ विक्रय समिति, वार्षिक प्रतिवेदन नगरपालिका के अनुमोदन के पश्चात् निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगी।

नगरीय स्थानीय निकाय का निदेशक:-

निदेशक, नगरीय 27  
स्थानीय निकाय की  
भूमिका

- (1) नियंत्रण, पर्यवेक्षण, सामान्य अधीक्षण का प्रयोग और नगरपालिकाओं की स्कीम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा/अनुश्रवण करेगा।
- (2) क्षेत्र स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन का सामयिक निरीक्षण करेगा;
- (3) स्कीम के क्रियान्वयन के निष्पादन की समीक्षा करेगा;
- (4) स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरपालिका को आवश्यक निर्देश/दिशा निर्देश जारी करेगा;
- (5) नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन की संवीक्षा करेगा और स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिये निर्देश

- जारी करेगा;
- (6) स्कीम के क्रियान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करायेगा;
  - (7) स्कीम के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार के साथ सम्पर्क रखेगा;
  - (8) नगरपालिका द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की अवधि में उत्पन्न विवादों के संबंध में निर्दिष्ट किये गये प्रकरणों में अन्तिम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा;
  - (9) राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये/प्रतिनिधानित किसी अन्य कृत्य का निस्तारण करेगा।
- राज्य नोडल अधिकारी को पदामिहित किया जाना 28. राज्य स्तर पर पथ विक्रय से सम्बन्धित समस्त मामलों के समन्वय के लिये निदेशक, स्थानीय निकाय या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी होगा।
- निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय को विवाद और प्रश्नों का निर्दिष्ट किया जाना 29. नगर पथ-विक्रय समिति की अधिकारिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में और अन्य मामलों के संबंध में उठने वाले विवाद या प्रश्न की स्थिति में, विवाद या प्रश्न निदेशक, स्थानीय नगरीय निकाय को निर्दिष्ट किये जायेंगे, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- अपराधों का शमन 30. (1) पथ विक्रेता, जो इस नियमावली या उसके अधीन बनाई गई स्कीम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा को प्रत्येक अपराध के लिये अन्यूनएक हजार पाँच सौ रुपये और अनधिक दो हजार रुपये जैसा कि नगर पालिका द्वारा अवधारित किया जाय, के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
- (2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन प्रशमन शुल्क के रूप में एक हजार रुपये की धनराशि वसूल किये जाने पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।



(कुमार कमलेश)  
प्रमुख सचिव।

निकाय का नाम.....

कमांक.....

**पथ विक्रेता के लिये सर्वेक्षण प्रपत्र**  
(नियम-12 देखें)

पथ विक्रेता की  
रंगीन पासपोर्ट  
साइज की  
अद्यतन फोटो

1. नाम.....
2. लिंग.....
3. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम.....
4. पता - (एक) स्थानीय .....  
(दो) स्थायी .....
5. आयु.....
6. पहचान-पत्र (यदि उपलब्ध हो) - (एक) पहचान पत्र संख्या.....  
(दो) निर्गमन प्राधिकारी का पदनाम.....
7. दूरभाष संख्या (यदि उपलब्ध हो).....
8. धर्म.....
9. अर्हताएं.....
10. बैंक खाता संख्या (यदि कोई हो)..... बैंक का नाम.....
11. परिवार के सदस्यों का विवरण-

कमांक	नाम	आयु	पथ विक्रेता से सम्बन्ध

**12. पथ विक्रय का विवरण-**

कमांक	कारबार का नाम	कारबार का स्थान	कारबार में अनुभव	कारबार में प्रवेश का तिथि	कारबार में विनिर्दिष्ट धनराशि	मासिक आय	कारबार की अवधि	अन्य

**13. पथ विक्रय की श्रेणी (चल/स्थिर)/साप्ताहिक बाजार.....**

**(क) स्थिर पथ विक्रय:-**

- (एक) यदि स्थिर पथ विक्रय करते हैं तो दुकान लगाने का स्थान, मुहल्ला एवं वार्ड.....
- (दो) चौहद्दी.....
- (तीन) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर पथ विक्रय किया जाता है.....
- (चार) विक्रय की जा रही वस्तु/सेवा का नाम.....

**(ख) चल पथ विक्रय:-**

- (एक) यदि चल पथ विक्रय है तो कहां से कहां तक पथ विक्रय करते हैं.....

- (दो) चल पथ विक्रय किस प्रकार करते हैं (ठेले पर/साइकिल पर/सिर पर सामान रखकर/अन्य.).....
- (तीन) विक्रय की जा रही वस्तु/सेवा का नाम.....
- (ग) साप्ताहिक बाजारों हेतु पथ विक्रेता:-
- (एक) दिवसवार साप्ताहिक बाजारों का विवरण.....
- (दो) प्रत्येक साप्ताहिक बाजारों के स्थान, मुहल्ला और वार्ड का नाम.....
- (तीन) प्रत्येक साप्ताहिक पथ विक्रय बाजार की सीमा.....
- (चार) पथ विक्रय उत्पादों/सेवाओं का नाम.....
14. (एक) क्या राशन कार्ड उपलब्ध हैं ? हां ..... नहीं.....  
(दो) यदि हां, तो वह गरीबी रेखा के नीचे का है अथवा नहीं ? हां..... नहीं.....  
(तीन) राशन कार्ड संख्या तथा जारी करने वाले कार्यालय का नाम.....
15. श्रेणी क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग से संबंधित हैं? .....
16. अन्य विवरण .....

सर्वेक्षणकर्ता का नाम..... सर्वेक्षण की तिथि..... पथ विक्रेता के हस्ताक्षर.....



निकाय का नाम.....

क्रमांक.....

**पथ विक्रेताओं के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र/वचनबद्धता**  
(नियम-12देखें)

पथ विक्रेता  
रंगीन पासपोर्ट  
साइज की  
अद्यतन फोटो

1. नाम.....
2. लिंग .....
3. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम.....
4. पता - (क) स्थानीय .....
- (ख) स्थायी .....
5. आयु.....
6. परिचय-पत्र (यदि उपलब्ध हो) - (क) परिचय पत्र संख्या.....
- (ख) परिचय पत्र का प्रकार.....
7. दूरभाष संख्या(यदि उपलब्ध हो).....
8. अर्हता.....
9. परिवार के सदस्यों का विवरण-

क्रमांक	नाम	आयु	पथ विक्रेता से सम्बन्ध

10. पथ विक्रय का विवरण-

क्रमांक	कारबार का नाम	कारबार का स्थान	कारबार का अनुभव	कारबार में प्रवेश करने की तिथि	कारबार में निधनित धनराशि	मासिक आय	कारबार की अवधि	अन्य

11. पथ विक्रय की श्रेणी (चल/स्थिर/साप्ताहिक बाजार का पथ विक्रेता):-

(एक) यदि स्थिर है तो स्थान, मुहल्ला एवं वार्ड, भूमि का क्षेत्रफल और वस्तुओं के नाम.....

(दो) यदि चल है तो मुहल्ला/वार्ड, वस्तुओं का नाम और प्रकार.....

12. पथ विक्रय की अवधि.....

13. राशन कार्ड की संख्या और जारी करने वाले कार्यालय का नाम-

14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/  
अल्पसंख्यक/शारीरिक रूप से विकलांग, महिला हैं तो प्रमाण  
पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें- .....

15. पंजीकरण शुल्क .....

**वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग)**

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....घोषणा करता/करती हूँ कि -

(एक) मैं पथ विक्रय का कारबार स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से करूँगा/करूँगी।

(दो) मेरे पास आजीविका का अन्य साधन नहीं है।

*Dr*

(तीन) मैं पथ विक्रय प्रमाण पत्र अथवा उसमें विनिर्दिष्ट स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी प्रकार से, जिसमें किराया भी सम्मिलित है, हस्तान्तरित नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक

पथ विक्रेता का हस्ताक्षर



निकाय का नाम.....

क्रमांक.....

## पथ विक्रय प्रमाण पत्र

(नियम-14देखें)

पथ विक्रेता का नाम श्री/श्रीमती..... पथ विक्रेता कोड.....

पिता/पति/पत्नी का नाम.....

वर्तमान निवास स्थान.....

पथ विक्रेता  
की पासपोर्ट  
साइज का  
रंगीन  
अद्यतन  
फोटो

नगर पथ विक्रय समिति की दिनांक ..... की बैठक के विनिश्चय के अनुसार आप को  
परिक्षेत्र- ..... में बाजार / मुहल्ला ..... मार्ग.....

..... (वार्ड..... ) में ..... मी० (..... वर्ग मी०

क्षेत्रफल)

में अस्थायी रूप से प्राप्त: ..... बजे से सायं ..... बजे तक के लिए स्थिर पथ विक्रय  
प्रमाण-पत्र/चल/साप्ताहिक बाजार विक्रय प्रमाण- पत्र 31 मार्च ..... तक के लिए प्रदान की  
जाती है, जिसका सीमांकन एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् होंगे-

स्थिर पथ विक्रय की सीमांकन - पूर्व.....

पश्चिम.....

..... उत्तर.....

..... दक्षिण.....

## निबंधन एवं शर्तें

- (एक) स्थिर पथ विक्रय हेतु स्थायी ढाचा का निर्माण करना प्रतिबंधित होगा;
- (दो) पथ विक्रेता को नगरीय पथ विक्रय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का नियमित रूप से, समय पर भुगतान करेगा,
- (तीन) पथ विक्रय के दौरान जनित अपशिष्ट सड़क, फुटपाथ, या नाली या सीवर में नहीं फेंका जायेगा। अपशिष्ट डस्टबिन में एकत्र किया जायेगा और घर-घर से अपशिष्ट एकत्र करने वाली नगरपालिका द्वारा अधिकृत एजेन्सी को हस्तगत कराया जायेगा। इस सेवा हेतु उन्हें मासिक प्रयोक्ता प्रभार भुगतान करना होगा।
- (चार) प्रत्येक पथ विक्रेता विक्रय-स्थल और उसके संलग्न क्षेत्र में स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा। खाद्य पदार्थ बेचने वाले पथ विक्रेता जन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता अनुरक्षित रखेगा।
- (पाँच) पथ विक्रय प्रमाण -पत्र में उल्लिखित आवण्टित स्थल और समय पर ही पथ विक्रय किया जायेगा। इसका उल्लंघन अधिनियम और इस स्कीम का उल्लंघन माना जायेगा और पथ विक्रेता अधिनियम के प्राविधानों के अधीन नियत शास्ति जिसमें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निस्तीकरण भी सम्मिलित है, का दायी होगा,
- (छ) पथ विक्रेता नागरिक सुविधाओं का रख-रखाव और संलग्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- (सात) पथ विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि पथ विक्रय की गतिविधियों के कारण यातायात/वाहनों को सुगम प्रवाह और जन सुविधायें बाधित न हों।

- (आठ) पथ विक्रेता प्रतिबन्धित वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। वे ऐसी कोई गतिविधि कार्य/व्यापार/सेवा कार्य नहीं करेंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों या लोक बाधा उत्पन्न करते हों।
- (नौ) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की, धारा 18 के प्राविधानों के अधीन स्थान की उपलब्धता पर संलग्न पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेता पुनर्स्थापित किये सकते हैं।
- (दस) पथ विक्रेता, नगर पथ विक्रय समिति, नगर पालिका और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण करेगा।
- (ग्यारह) पथ विक्रेता द्वारा उपरिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार शास्ति, जिसमें पथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है, पथ विक्रेता पर आरोपित की जायेगी।
- दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी  
नगरीय पथ विक्रय समिति

नगरपालिका का नाम.....  
 पथ विक्रय प्रमाण पत्र रद्द किये जाने/निलम्बित किये जाने के लिये नोटिस  
 (नियम 17 देखिये)

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती..... पथ विक्रेता कोड संख्या.....  
 पिता/पति का नाम..... वर्तमान निवास स्थान/पत्र व्यवहार का पता.....

आपके आवेदन पत्र के क्रम में नगरीय पथ विक्रय समिति (Town Vending Committee) की स्वीकृति दिनांक ..... द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक ..... दिनांक ..... द्वारा आपको परिक्षेत्र-..... के अन्तर्गत बाजार/मुहल्ला ..... मार्ग ..... (वार्ड.....) में मी० X ..... मी० (..... वर्ग मी० क्षेत्रफल) में स्थिर/चल पथ विक्रय --कार्य संचालित किए जाने का प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) उसमें अंकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया था।

1. अब, आपको सूचित करना है कि -

आपने अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई नियमावली या योजना के अन्तर्गत पथ विक्रय को विनियमित करने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट निम्नलिखित नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है-

(क).....

(ख).....

(ग).....

2. आपने पथ विक्रय प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण तथ्यों कपट और झूठी सूचनाओं के आधार पर प्राप्त किया है जो निम्नलिखित है/हैं-

(क).....

(ख).....

(ग).....

उपरोक्त के आलोक में आपसे दिनांक.....को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा आवश्यक अभिलेखों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। आप द्वारा उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट समय में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। परिणामस्वरूप आपके पक्ष में निर्गत पथ विक्रय प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। विवेचना की अवधि में आपका पथ विक्रय प्रमाण-पत्र निलम्बित रहेगा।

प्राधिकृत अधिकारी  
 नगरीय पथ विक्रय समिति

h

निकाय का नाम.....

**पथ विक्रेताओं के पुनर्स्थापन के लिये नोटिस**  
(नियम-19 देखें)

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती..... पथ विक्रेता का कोड संख्या.....  
पिता/पति का नाम..... वर्तमान निवास स्थान/पत्र व्यवहार का पता.....

आपके आवेदन पत्र के कम में नगर पथ विक्रय समिति (Town Vending Committee) की स्वीकृति दिनांक ..... द्वारा लिए गए निर्णय के कम में पत्रांक ..... दिनांक ..... द्वारा आपको जोन-..... के अन्तर्गत बाजार/मुहल्ला ..... मार्ग ..... में मी० x ..... मी० (..... वर्ग मी० क्षेत्रफल) में स्थिर/चल पथ विक्रय संचालित किए जाने का प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) उरामें अंकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया था।

आपको सूचित किया जाता है कि-

- (एक) परिवहन के दबाव और अत्यधिक भीड़ और सड़क के चौड़ीकरण और अन्य विकास कार्यों के होने,
- (दो) सड़क पर मेट्रो/फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित होने,
- (तीन) परिक्षेत्र या उसका अंश को पथ विक्रय रहित परिक्षेत्र घोषित होने,
- (चार) यातायात और परिवहन के सुगम प्रवाह में बाधा होने,
- (पाँच) कानून व्यवस्था की समस्या होने,
- (छ) आपात्कालीन स्थिति होने,
- (सात) पथ विक्रय परिक्षेत्र की समावेश क्षमता से अधिक पथ विक्रेता होने,
- (आठ) अन्य-(विनिर्दिष्ट करें) के कारण, निर्गत पथ विक्रय प्रमाण-पत्र में अंकित स्थान और क्षेत्र में पथ विक्रय क्रियाकलाप जारी रखना अनुमन्य नहीं है।

अतः आपको इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर पथ विक्रय प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को खाली करने का निर्देश दिया जाता है।

आप द्वारा स्थान को खाली करने में असफल रहने की दशा में, नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि में व्यतीत होने के पश्चात् आप ऐसे दोष के लिए अधिनियम की धारा 18(5) के अन्तर्गत प्रति दिन अर्थदण्ड जो रु० 250/- तक हो सकता है, के भुगतान के दायी होंगे।

पुनः आप वर्तमान स्थान से निम्नलिखित स्थान या क्षेत्र में पुनर्स्थापित किये जा सकते हैं-

- (1)
- (2)
- (3)

प्राधिकृत अधिकारी,  
निकाय का नाम

fr

निकाय का नाम.....

पथ विक्रेताओं के निष्कासन की नोटिस  
(नियम-20 देखें)

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती..... पथ विक्रेता कोड संख्या.....  
पिता/पति का नाम..... वर्तमान निवास स्थान/पत्र व्यवहार का पता.....

आपके आवेदन पत्र के क्रम में नगर पथ विक्रय समिति (Town Vending Committee) की स्वीकृति दिनांक ..... द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक ..... दिनांक ..... द्वारा आपको परिक्षेत्र-..... के अन्तर्गत बाजार/मुहल्ला ..... मार्ग ..... में मी0 X ..... मी0 (..... वर्ग मी0 क्षेत्रफल) में स्थिर/चल पथ विक्रय संचालित किए जाने का प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) उसमें अंकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया था।

आप को सूचित किया जाता है कि -

- (1) आप के पक्ष में जारी विक्रय प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत आदेश संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा निरस्त किया जा चुका है।
- (2) आप बिना पथ विक्रय प्रमाण-पत्र के पथ विक्रय कार्य करते पाये गये।
- (3) कोई अन्य कारण.....

अतः एतद् द्वारा आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि क्रम संख्या ..... पर अंकित तथ्य के परिप्रेक्ष्य में आप पथ विक्रय कार्य ..... स्थान/बाजार/मार्ग से हटा कर 30 दिन के अंदर खाली कर दें। नियत अवधि में आपके द्वारा उक्त स्थान खाली न करने पर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा(4) के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करते हुए आपको भौतिक रूप से बेदखल कर दिया जाएगा और आपका सामान जब्त कर लिया जायेगा।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि व्यतीत हो जाने पर भी द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान का खाली करने में असफल रहने पर आप इस प्रकार व्यक्तिगत किये जाने पर रु0-250/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड के दायी होंगे।

प्राधिकृत अधिकारी,  
निकाय का नाम

f

निकाय का नाम  
पथ विक्रेता का परिचय-पत्र  
(नियम 22 देखिये)

क्रमांक.....

1. पथ विक्रेता कोड सं०-.....
2. पथ विक्रेता का नाम.....
3. पिता/पति/पत्नी का नाम.....
4. पता.....
5. टेलीफोन/मोबाइल नं०.....
6. कारबार की प्रकृति.....
7. श्रेणी (स्थिर/चल/साप्ताहिक बाजार का पथ विक्रेता ).....
8. पथ विक्रय का स्थान./पथ विक्रय परिक्षेत्र-.....
9. पथ विक्रय की अवधि -.....से .....तक
10. परिवार के नाम निर्देशिती का नाम.....
11. वैधता.....?

पासपोर्ट  
साइज का  
अद्यतन  
रंगीन फोटो

दिनांक:-

हस्ताक्षर  
प्राधिकृत अधिकारी  
नगरीय पथ विक्रय समिति



नगर पथ विक्रय समिति के लिये कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग, और सचिव का उपबंध किया जाना उपसमितियों	10		नगर पालिका, नगर पथ विक्रय समिति को पर्याप्त उपस्कर सहित समुचित कार्यालय, स्थल, पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी का उपबंध करेगी।
	11	(1)	नगर पथ विक्रेता समिति अपने किन्ही कृत्यों के निर्वहन के लिए एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी।
		(2)	उपनियम (1) के अधीन गठित किसी उपसमिति के पास ऐसे अधिकार होंगे और वह ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जैसा कि नगर पथ विक्रेता समिति, समय समय पर प्रतिनिधानित करे या प्रदान करे।
पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण	12	(1)	नगर विक्रय समिति, अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार नगर पालिका की अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण संचालित करेगी।
		(2)	सर्वेक्षण, प्रपत्र-1 में परिक्षेत्र, वार्ड और बाजार के अनुसार किया जायेगा और सभी ऑकड़े डिजिटल रूप में संग्रहीत किये जायेंगे।
पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	13	(1)	प्रत्येक नगर पालिका में नियम 11 के अधीन किये गये सर्वेक्षण के अधीन अभिज्ञात सभी पथ विक्रेताओं को पहचान के विश्वसनीय श्रोतों के आधार पर नगर पथ विक्रय समिति द्वारा नियत किसी साधारण शुल्क पर पंजीकृत किया जायेगा।
		(2)	जो पहली बार पथ विक्रय कार्य कराना चाहते हैं, उन्हें पथ विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा परन्तु इसके लिए उन्हें शपथ पूर्वक यह बयान देना होगा कि उनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है और वे पथ विक्रय स्थल से अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से व्यक्तिगत रूप से इस संचालित करेंगे। पथ विक्रय परिक्षेत्र में स्थान की उपलब्धता के अध्यधीन उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
		(3)	पथ विक्रेताओं को प्रपत्र-2 में पंजीकृत करने का अधिकार, नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी में निहित होगा।
		(4)	प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात पंजीकरण को नवीकृत किया जा सकेगा।
		(5)	सर्वेक्षण में अभिज्ञात पथ विक्रेताओं, जिन्होंने आवेदन के दिनांक को चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, को पंजीकृत नहीं किया जायेगा।
पथ विक्रय प्रमाण पत्र का जारी किया जाना	14	(1)	नियम-11 के अधीन किये गये सर्वेक्षण में अभिज्ञात और नियम 12 के अधीन पंजीकृत प्रत्येक पथ विक्रेता को, नगर पथ विक्रय समिति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत

**UTTAR PRADESH SHASAN  
NAGAR VIKAS ANUBHAG-9**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-111/9-9-2017-170ja/2006, Dated-----May 2017

**Notification**

**No.111/9-9-2017-170ja/2006**

**Lucknow Dated 10 May, 2017**

In exercise of powers under section 36 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act 2014 (Act no 7 of 2014) the Governor is pleased to make the following rules with a view to protecting the rights of urban street vendors and regulating street vending activities.

**THE UTTAR PRADESH STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) RULES, 2017**

**Short title,  
extent and  
commencement**

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017."  
(2) They shall be applicable to all Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Uttar Pradesh.  
(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

**Definitions**

2. (1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context,:-  
(a) "Act" means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Act no 7 of 2014);  
(b) "**Certificate of Vending**" means the certificate issued by the Town Vending Committee to authorize a vendor for the vending in such area as may be specified in the certificate;  
(c) "**Form**" means a form appended to these rules.  
(d) "**Director**" means an officer appointed as Director of Urban Local Bodies by the State Government under the provisions of The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.  
(e) "**Maintenance fee**" means the amount determined by the Municipality for the civic amenities and facilities provided to a vendor in the vending zone;  
(f) "**Municipality**" means the Municipal Corporation, the Municipal Council or the Nagar Panchayat, as the case may be;  
(g) "**No Vending Zone**" means any area, place, location or a zone or part of it which is declared for not carrying on vending activities;



- (h) "**Plan**" means a plan prepared under section 21 of the Act;
- (i) "**Restricted Vending Zone**" means an area, place, location or a zone or part thereof where vending activities are permitted during certain period of time;
- (j) "**Restriction-free Vending Zone**" means an area, place or location or a zone or part thereof where a street vendor may be allowed for street vending activities without any restriction;
- (k) "**Scheme**" means the scheme framed by the State Government under section 38 of the Act;
- (l) "**Vending Charges**" means the charges paid by a vendor from time to time who has been issued certificate of vending.

(2) Words and expressions not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

### Prohibition

3. (1) No Person shall, without certificate of vending under these rules, cover any place, display or install any thing in connection with sale or provide services or goods by vending on any public place or open space.
- (2) No person shall sell his wares or provide his services by vending or hawking in any areas or places other than mentioned in the certificate of vending.
- (3) No street vendor shall have the right to carry on the business of street vending activities in any areas and places for which they do not have certificate of vending given by the Town Vending Committee.

### Constitution of Town Vending Committee

4. (1) There shall be constituted a Town Vending Committee in each municipality in accordance with the provisions of section 22 of the Act. The term of the Committee, shall be for a period of five years from the date of its first meeting:  
 Provided that the State Government may dissolve a Town Vending Committee if it is of opinion that the Committee is not functioning in accordance with the provisions of the Act, rules and schemes made thereunder and shall constitute a fresh Town Vending Committee within three month from the date of dissolution of the set a new Committee,
- (2) Each Town Vending Committee shall consist of;
  - (a) the Municipal Commissioner or the Executive Officer, as the case may be, who shall be the Chairperson;
  - (b) Members, whose number shall be,
    - (i) not more than ten in case of Nagar Panchayat,
    - (ii) not less than ten and not more than twenty in case of Municipal Council, and,
    - (iii) not less than twenty and not more than forty, in case of Municipal Corporation,
  - (c) the number of members nominated on the basis of merit in

transparent manner by the Municipal Commissioner or Executive Officer to represent the Non Government Organizations and the Community Based Organizations shall not be less than ten percent;

- (d) the number of members representing the street vendors of the municipal area shall not be less than forty percent who shall be elected from amongst themselves in the manner provided under rule-5;

Provided that one third of members representing the street vendors shall be from amongst women vendors.

Provided further that due representation shall be given to the Scheduled castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and persons with disabilities from amongst members representing street vendors.

- (e) remaining members shall be nominated from amongst the following categories -
- (i) the members or corporators of the municipality whose number shall not more than two nominated by the Chairperson,
  - (ii) Medical Officer of Health of the Municipality. (wherever available)
  - (iii) one representative of the traffic police, nominated by the Superintendent of Police (Traffic),
  - (iv) one representative of the local police, not below the rank of Circle officer nominated by the Senior Superintendent of Police,
  - (v) representatives of the City level registered market associations and traders' associations nominated by the Chairperson of a Municipality whose number shall not be more than two;
  - (vi) not more than two members from Residents Welfare Associations nominated by the Municipal Commissioner or Executive Officer;
  - (vii) one representative of the district administration nominated by the District Magistrate;
  - (viii) one representative of the lead bank, nominated by the Chief Manager;
  - (ix) one representative of a Uttar Pradesh Housing and Development Board, nominated by the Housing Commissioner;

- (x) one representative of a Development Authority, nominated by the Vice Chairman thereof;
- (xi) one representative of the Town and Country Planning, Uttar Pradesh nominated by the Chief Town and Country Planner;
- (xii) one representative of the Public Works Department of the State nominated by the Chief Engineer,
- (xiii) one representative of the Uttar Pradesh Power Corporation, nominated by the Executive Engineer,
- (xiv) One representative of the Fire Department, of the State nominated by the Superintendent of Police (Fire),
- (xv) An officer of the Municipality, nominated by the Municipal Commissioner or Executive Officer as the case may be, who shall act as Member-Secretary.

(3) If in the opinion of the State Government any member of Town Vending Committee persistently defaults in the performance of his duties imposed on him by/or under the Act or these rules or abuses his powers, the State Government may, by order, remove such member from the Town Vending Committee;

Provided that such member shall be given an opportunity of being heard before his/her removal.

**Manner of  
Election  
among street  
vendors**

5. (1) A member from street vendors shall be elected in following manner-
- (a) the Municipality concerned shall publish a notice calling for application from registered associations of the street vendors for membership of Town Vending Committee, in any two prominent daily newspapers having circulation in such municipality. A copy of the notice shall also be displayed in any conspicuous place in the local markets under the jurisdiction of the municipality.
  - (b) the aforesaid notice shall contain, amongst other things, the date of publication of notice, form for the application, the last date and manner of submission of the application .
  - (c) the aforesaid notice shall be published thirty days prior to last date for the submission of the applications for membership of Town Vending Committee.
  - (d) any person , being a member of any association may apply to his association for the membership of Town Vending Committee along with the proof of his/her identity, address and the character certificate.
  - (e) the association of street vendors may elect its members out of the members applied therefor under clause (d) and

h



recommend for membership of Town Vending Committee.

- (f) the municipality shall seek informations , with respect to , particulars of the applicants recomended under clause(e), details of work experience , particularly in the area of street vending within the jurisdiction of the municipality and such other details as it may think fit.
- (g) on submission of the recommendations referred to in clause(e), the Municipal Commissioner or Executive officer shall allot a unique application number to each recommended applicant and communicate to all applicants as well as the vendor associations .
- (h) if recommendations received are more than the required numbers , the municipality shall select the required members on the basis of lottery . Such lottery shall be held in the presence of the interested parties.
- (i) the municipality shall publish the aforesaid informations and also the list of nominated members of Town Vending Committee on its website .
- (j) the formation of Town Vending Committee shall be published on the website of the concerned municipality and be issue a press note regarding it.
- (2) The Municipal Commissioner or Executive Officer may appoint a Committee consisting of three officers of the municipality for the purpose under sub rule (1)

**Functions of  
Town Vending  
Committee**

6.

The functions of Town Vending Committee shall be:-

- (a) to conduct a survey of all existing street vendors within the area under its jurisdiction and to ensure their accommodation in the vending zones subject to the norms and holding capacity of the vending zone;
- (b) to issue certificate of vending subject to such terms and conditions and within such period as specified in the scheme including the restrictions specified in the plan for street vendor;
- (c) to cancel or suspend the certificate of vending where street vendor commits breach of any terms or conditions specified for regulating street vending after giving him an opportunity of being heard;
- (d) to ensure that the identity card should be issued to every street vendor who has been provided certificate of vending;
- (e) to monitor the civic facilities to be provided to the street vendors by the municipality;
- (f) to recommend to the municipality for demarcating areas for vending with no restriction, areas, with restriction with regard to the dates, days and time and, areas which would be earmarked as no vending zones;
- (g) to recommend to the municipality for preparing a plan to

promote the vocation of street vendors covering the matters contained in the First Schedule of the Act.

- (h) to recommend to the municipality for determining natural markets ;
- (i) to set the terms and conditions for vending;
- (j) to collect fees or other charges;
- (k) to decide the standards regarding an area or a place or a location to be made available to the vendors;
- (l) to ensure continuation and up-gradation of weekly markets;
- (m) to monitor the implementation and execution of vending scheme framed under section 38 of the Act;
- (n) to fix vending fee from time to time;
- (o) to furnish return or annual report from time to time to the municipality and the State Government;
- (p) to maintain and update records of the street vendors in detail;
- (q) to publish street vendors' charter ;
- (r) to carry out social audit of its activities;
- (s) to send recommendations to the State Government to undertake promotional measures of making available credit, insurance and other welfare schemes of social security to the street vendors;
- (t) to assess and determine maximum holding capacity of each vending zone;
- (u) to undertake periodic survey/census to assess the increase or decrease in the number of vendors in the municipality;
- (v) to ensure that the quality of products and services provided to the public is as per standards of public health, hygiene and safety laid down by the municipality and other authorities;
- (w) to encourage and facilitate the organizations of weekly markets, festival Bazars, night markets to celebrate important occasions, holidays including city/town\market formation day etc;
- (x) to ensure that those mobile vendors who have been allotted stalls /vending spots/ vending areas are actually using them and take necessary action to ensure that these are not rented out or sold to others; and
- (y) any other functions as may be assigned from time to time by the State Government or the municipality concerned.

**Meeting of 7.  
Town Vending  
Committee**

(1) The Town Vending Committee shall meet at least quarterly in every year for the transaction of business at such place and such time as may be decided by its Chairperson within the jurisdiction of the Municipality.

(2) A list of business to be transacted at every meeting except an adjourned meeting shall be sent to each member of the Town Vending Committee at least forty eight hours before the time fixed for each meeting:

Provided that if the list of business is sent by post it shall be so sent that it may be served to the members within stipulated time.

(3) The Chairperson of the Town Vending Committee may, whenever he thinks fit, and shall, upon the requisition made in writing by not less than one-third of the total number of members of the Committee, call a meeting of the Committee.

(4) The Town Vending Committee may associate any person or persons having special knowledge or experience in respect of matters within the ambit of the Town Vending Committee and may pay him/her or them such allowance as may be determined by the Committee.

(5) The Town Vending Committee may pay such allowances to the street vendors elected as members of Town Vending Committee and the members nominated under the provisions of clause (b) and (c) of sub-rule (2) of rule 4, except the officials, as may be determined by it.

**Quorum**

8. No business shall be transacted at any meeting of the Committee unless at least one third of total number of members thereof, is present throughout the meeting.

**Decisions in the meeting of the Town Vending Committee**

9. (1) All matters required to be considered and decided by the Committee, shall be determined by a majority of members present and voting.

(2) Keeping in view the exigencies of matter, the Committee may take decisions by circulation of the agenda.

(3) The proceeding of the last meeting shall be confirmed in the next meeting of the Committee.

(4) In order to implement the decisions of the town vending committee, the Municipal Commissioner or the Executive Officer as the case may be, shall designate an officer who shall be responsible for implementing its decisions.

**Provision of office space, staff and secretary for Town Vending Committee**

10. The municipality shall provide the Town Vending Committee proper office space with adequate furniture, sufficient number of employees and an officer to act as secretary of the Committee.

**Sub-Committees**

11. (1) The Town Vending Committee may constitute one or more sub-committees to discharge any of its functions.

(2) A sub-committee constituted under sub-rule (1) shall have such powers and perform such functions as the Town Vending Committee may from time to time delegate or confer.

**Survey of Street Vendors**

12. (1) The Town Vending Committee shall conduct a survey of all existing street vendors within the area under its jurisdiction in the municipality in accordance with the provisions of section 3 of the Act.

(2) The survey shall be conducted zone, ward or market wise as the case may be in **Form-1** and all the data shall be stored digitally.



of 13.

- (1) All street vendors in each municipality, identified under the survey carried out under rule 11 shall be registered on the basis of reliable means of identification at a nominal fee fixed by the Town Vending Committee.
- (2) Those who wishes to take up street vending for the first time shall have to apply for registration as vendor provided they give a statement on oath that they do not have any other means of livelihood and shall be personally operating from the vending spot, with the help of his family members. Certificate of vending to him may be issued subject to availability of space in the vending zone.
- (3) The power to register the vendors in **Form-2** would be vested with the Town Vending Committee or any officer authorized by it in this behalf.
- (4) Registration may be renewed after every five years.
- (5) The street vendors, identified under the survey who have not completed the age of fourteen years on the date of application, shall not be registered.

of  
of

14.

- (1) Every street vendor identified under survey carried out under rule - 11 and registered under rule-12, shall be issued a certificate of vending in Form-3 by the Town Vending Committee or any officer of the municipality authorized by it in this behalf.
- (2) Every street vendor shall follow the conditions mentioned under section 5 of the Act.
- (3) The certificate of vending shall be issued under any one of the following categories, namely,-
  - (a) a stationary vendor, or
  - (b) a mobile vendor, or
  - (c) vendors in weekly markets, or
  - (d) any other category as may be specified in the scheme or as may be determined by the Town Vending Committee.
- (4) The terms and conditions on which the certificate of vending shall be issued after giving an undertaking in Form-2 are:-
  - (i) there shall be restrictions to build permanent structure for stationary vending;
  - (ii) street vendor shall pay the fees as determined by the Town Vending Committee regularly and timely;
  - (iii) waste produced during street vending shall not be thrown on road, footpath, or in drains or sewer line. The waste shall be collected in a dustbin and be handed over to the agency authorized by the municipality for door to door collection. For this service, they have to pay monthly user charges;
  - (iv) every street vendor shall maintain cleanliness at the place of vending and the adjoining areas. Food street vendors selling eatables shall maintain public health and personal hygiene;

- 9 -
- (v) vending shall be carried only on the allotted place and time mentioned in the vending certificate. Any contravention shall be treated as violation of the Act and the scheme and the vendor shall be liable to such penalty as may be determined under the provisions of the Act which includes the cancellation of the vending certificate;
  - (vi) street vendor shall ensure maintenance of civic amenities and safety of public property in Vending zone and the adjoining areas;
  - (vii) street vendor shall ensure that smooth flow of traffic/vehicles and public convenience are not hindered due to vending activities;
  - (viii) the streets vendors shall not sell prohibited goods. They shall not do any such activity/ work/ business/service which pollutes the environment or causes public hindrance /nuisance;
  - (ix) if necessary, street vendor may be relocated under the provisions of section 18 of the Act to the adjoining vending zone on the availability of space;
  - (x) there shall be no vending activities on foot over bridges and flyovers;
  - (xi) outside places of worship, vendors can be permitted to carry on vending activities and to sell items required by the devotees for offering to the deity or for like flowers, sandalwood, candles, agarbatties, coconut, chadars, sweets etc. Town Vending Committee may take decision in this matter in accordance with the local circumstances and street vendors shall have to abide by these restrictions and instructions
- (5) The preference shall be given to the vendors belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, women, persons with disabilities and minorities for issuing the certificate of vending.
  - (6) The certificate of vending shall be issued for five years. If all the terms and conditions were followed sincerely and no violation of rules and Act was committed, the certificate of vending shall be renewed further for the period of five years.
  - (7) Every street vendor who has been issued certificate of vending shall pay to the municipality such vending fee as may be fixed by the Town Vending Committee keeping in view the local conditions and categories of street vendors.
  - (8) Every street vendor shall pay to the municipality such periodic maintenance charges for the civic amenities and facilities provided in the vending zones as may be determined by the Municipality.

- (9) Where the number of street vendors in a vending zone is found more than the holding capacity of that zone, the Town Vending Committee shall carryout a draw of lottery for issuing the certificate of vending for that vending zone. Remaining street vendors shall be accommodated in any adjoining vending zone where the *proper* place for street vending is available.

**Demarcation of Vending Zones**

15. (1) In every municipality certain areas, places, wards or zones or part thereof may be declared as restriction free vending zone, restricted vending zone and no vending zone by the municipality on the recommendation of the Town Vending Committee.
- (2) Vending places and vendor markets shall be determined by the municipality concerned for the stationary vendors who carry out vending activities on regular basis at a specific location.
- (3) There shall be vending zones in every municipality consisting of one or more wards for mobile vendors, who may carry out vending activities in designated areas by moving from one place to another for vending their goods and services.
- (4) Certain places, areas, wards or zones may be designated as restricted vending zone where vendors may not carry out any kind of vending activities with regard to time and day etc.
- (5) Certain places, areas, wards or zones may be designated as no vending zone where vending activities shall be completely prohibited.
- (6) The municipality may make byelaws for the purposes of demarcation of vending zones keeping in view the local circumstances, needs, practicability and rationale.

**Provision for creating new vending markets**

16. In City/Town Master Plan, specific provisions for creating new vending markets at the time of finalization/revision of Master Plan, Zonal Plans and Local Area Plans shall be made. The space reserved in such plans should be commensurate with the current number of vendors and their rate of growth on perspective basis be based on the rate of growth over preceding five years.

**Cancellation or suspension of certificate of vending**

17. (1) Cancellation or suspension of the certificate of vending shall be done by the Town Vending Committee or any officer authorized by it in this behalf.
- (2) If the prescribed conditions are violated at any time by a street vendor or obstruction in traffic movement or nuisance from his vending activity is verified, the certificate of vending may be cancelled and necessary actions may be taken.
- (3) Where the holder of the certificate of vending commits breach of any of the terms and conditions specified under the Act or these rules or scheme made thereunder or has secured the certificate of vending through misrepresentation or fraud or forgery, or any article whatsoever hawked or exposed for sale in public place or

- 11 -

in any public street in contravention of provisions of Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, the Town Vending Committee or any officer authorized by it in this behalf, may suspend the certificate of vending during the enquiry and investigation for such period as it or he/she thinks fit or after issuing him a show cause notice in **Form-4** and may cancel the certificate of vending after giving an opportunity of being heard.

**Responsibility  
of a street  
vendor**

18. (1) Every street vendor shall have the right to carry on the business of street vending activities in accordance with the terms and conditions mentioned in the certificate of vending;
- (2) Every street vendor, who possesses a certificate of vending, shall in case of his relocation, be entitled for new site or area, as the case may be, for carrying out his vending activities as may be determined by the municipality, in consultation with the Town Vending Committee.
- (3) Where a street vendor occupies space on a time-sharing basis, he shall remove his goods and wares every day at the end of the time-sharing period allowed to him.
- (4) Every street vendor shall maintain civic amenities and public property in the vending zone in good condition and not damage or destroy or cause any damage or destruction thereof.
- (5) Every stationary street vendor may be provided an area of not exceeding 2 metres x 2 metres wherever available suitably in vending zone in the manner that the vehicular and pedestrian traffic shall not be obstructed and access to shops and residences shall not be blocked.
- (6) There shall be no vending activities on foot over, over bridges, and flyovers.
- (7) Every street vendor shall not create any noise by shouting or playing any instrument or music for attracting the public or customers.
- (8) Every street vendor shall extend full cooperation to the municipal conservancy staff for cleaning the places, of his/her vending and also to the other municipal staff for carrying on any municipal work.
- (9) Every street vendor shall keep his surroundings neat and clean.
- (10) No structure of any type shall be made at the vending area or place.
- (11) A street vendor shall not Sale prohibited goods.

**Relocation of  
street vendor**

19. (1) Street vendor who possesses a certificate of vending may be relocated by the municipality if:-
- (a) ward or part thereof or the place is declared to be a no vending zone for any public purpose;
- (b) construction and development for maintenance of civic amenities or other infrastructure is undertaken;

- (c) there is hindrance, obstruction or disturbance in traffic and transportation;
  - (d) maintenance of law and order situation arises.
  - (e) the number of street vendors are more than holding capacity in the vending zone;
  - (f) there is pressure of traffic and transportation and congestion over it;
  - (g) there is any other reason which is proper in view of the Town Vending Committee.
- (2) The relocation should be made keeping in view the availability of space, transportation, movement of traffic and density of population. The Municipality on the recommendation of the Town Vending Committee shall determine the holding capacity of the area in light of the said criteria and local needs.
- (3) The proceeding of relocation of street vendors shall be done in view of the following conditions—
- (a) The place for which the certificate of vending has been issued, is urgently required for most essential public purposes;
  - (b) relocation of street vendor shall be done in such a way that he/she may at least, maintain his/her livelihood .
  - (c) as far as possible, assets of street vendor shall not be destroyed;
  - (d) the street vendor shall not be relocated otherwise than due process of law;
  - (e) the natural markets where vending activities are carried out for more than fifty years, may be declared as heritage markets and street vendors carrying vending activities therein may not be relocated;
  - (f) notice of thirty days for the relocation of a street vendor shall be given in **Form-5**.
  - (g) A street vendor who fails to vacate the place within the time mentioned in the notice shall be relocated from the place by force as may be determined by the Municipal Commissioner or the Executive Officer or any officer authorized in this behalf.

**Eviction of street vendors**

20. (1) A street vendor may be evicted by the municipality if-
- (a) his/her certificate of vending has been cancelled under section 10 of the Act;
  - (b) he/she does not have a valid certificate of vending ;
  - (c) he/she is found carrying on street vending activities without certificate of vending;
  - (d) he/she has violated the provisions of the Act and the rules made thereunder;
  - (e) the municipality or any officer authorized by it in this behalf thinks proper and justified.
- (2) A street vendor shall only be evicted after giving one month notice in **Form-6**.



**Seizure and  
reclaiming of  
goods**

- (3) If a street vendor fails to comply with the notice under sub-rule (2) and does not vacate the place, the municipality or any officer authorized by it shall evict him physically by such force as may be deemed fit.

21. (1) If a street vendor does not comply with the notice issued to vacate place, after expiry of one month, the municipality may also seize the goods of such street vendor.
- (2) Seizure and reclaiming of goods shall be done under the provisions of section 19 of the Act.
- (3) A street vendor may submit an application to reclaim his goods to the Municipal Commissioner or the Executive Officer or the officer authorized in this behalf, as the case may be.
- (4) The fee for reclaiming the seized goods shall be determined by the Town Vending Committee or any officer of municipality authorized by it in this behalf.
- (5) The Municipal Commissioner or the Executive Officer or any officer authorized in this behalf, as the case may be, may release the goods after payment of the fee fixed under sub-rule (4) and taking an undertaking from the street vendor whose goods have been seized that he/she shall not carry on street vending activities on evicted place or at any other place in the zone.

**Issue of  
Identity Card**

22. (1) Every street vendor who has been issued certificate of vending shall be issued identity card in **Form-7** duly signed by an officer of the Municipality authorized by the Town Vending Committee.
- (2) Identity card shall be kept in the pocket of street vendor and shall be shown on demand of any officer authorized by the Town Vending Committee or the Municipality.

**Facilities to be  
provided to  
street vendors**

23. (1) Subject to the availability, following facilities may be provided to the street vendors in the vending zone by the Municipality -
- (a) facility of solid wastes disposal,
  - (b) facility of public toilets,
  - (c) facility of drinking water,
  - (d) facility of light,
  - (e) any other facility which is considered to be necessary by the municipality concerned.
- (2)(a) financial assistance to a street vendor may be provided so as to make him/her capable of conducting the business, Self-Help Groups may be constituted by the groups thereof. By own contributions, loans from financial institutions and grants from various schemes etc may be provided. A fund may be established and financial assistance may be provided to the members of Self Help Groups;
- (b) group insurance scheme may be introduced for street vendors who have been issued certificate of vending;

**Appeal against  
the decision of  
Town Vending  
Committee**

- (c) for the promotion of social status and for the welfare schemes of social security of the street vendors, help of non-government organizations, street vendors associations and unions and other welfare organizations may be taken.
24. (1) Any person who is aggrieved by any decision of the Town Vending Committee may prefer an appeal to the Mayor or the Chairperson as the case may be, within thirty days of receipt of the order.
- (2) A copy of the order of Town Vending Committee and other relevant records and document shall be attached while filing the appeal.
- (3) The appellant shall submit his papers in the office of the Mayor or the Chairperson, as the case may be, and shall get its acknowledgment.
- (4) Date of hearing shall be fixed and summons shall be sent to give an opportunity of hearing to the appellant as well as the Town Vending Committee.

**Manner of  
redressal of  
grievances and  
resolution of  
disputes of  
street vendors**

25. (1) For the purpose of considering the applications made in writing by the street vendors for redressal of grievances or resolving of disputes, an application shall be given to the Executive Committee or to a Committee constituted by the municipality consisting of the Mayor or the Chairperson as the case may be of the municipality as Chairperson and two other members of the municipality.
- (2) On receipt of the application regarding the grievance or the dispute the committee shall collect reports and comments of the Municipal Commissioner or the Executive Officer, as the case may be, on the matter and, shall take steps for redressal of such disputes within one month from the receipt of the application. Steps taken in this regard shall be communicated to the applicant in writing within forty five days from the receipt of the application.
- (3) Any person who is aggrieved by the decision of the committee constituted under sub-rule (1) may prefer an appeal to the municipality within thirty days from the communication of details under sub-rule (2).
- (4) The municipality shall issue summon to the appellant and after giving him an opportunity of being heard within one month may dispose of the appeal within one month next following.

**Monitoring**

26. Monitoring of the provisions prescribed in these rules and the Act shall be carried on at the following levels:-
- (a) Town Vending Committee shall be responsible to monitor the implementation of policies and provisions mentioned in these rules;
- (b) Town Vending Committee or any officer authorized by it in this behalf shall maintain a register of upto date information

regarding each street vendor, stationary or mobile, or of weekly market containing name of such street vendor, space allotted to him, nature of business or vending carried out by him, category of street vending, details of appeals, redressal of grievances, resolving of the disputes, vending fee, registration fee, penalty, maintenance charges, user charges, cash book and such other particulars as may be relevant to the street vendors;

- (c) The municipality shall, continuously monitor the functioning and activities of the Town Vending Committee;
- (d) An annual report of the Town Vending Committee, containing the following details, shall, as soon as possible, be laid before the municipality which may thereupon take such actions as it thinks fit:
  - (i) Number of street vendors (stationary, mobile and of weekly markets) who have been issued certificate of vending,
  - (ii) Revenue collected (head wise),
  - (iii) Promotional and other measures undertaken,
  - (iv) Number of appeals received and disposed,
  - (v) Number of grievances redressed and disputes resolved,
  - (vi) Expenditure incurred,
  - (vii) Steps taken for the welfare and betterment of street vendors,
  - (viii) Best practices (if any),
  - (ix) Any other achievement on the subject;
- (e) The Town Vending Committee shall furnish the annual report to the Director of Urban Local Bodies after the approval of the municipality.

**Role of Director  
of Urban Local  
Bodies**

27

The Director of Urban Local Bodies shall:-

- (1) control, supervise, exercise general superintendence, monitor the implementation of the scheme by the municipalities,
- (2) make periodical inspection of implementation of the scheme at the field level,
- (3) review the performance of implementation of the scheme,
- (4) issue necessary directives/guidelines to the municipality for effective implementation of the scheme,
- (5) conduct scrutiny of annual report submitted by the municipality and issue directives for successful implementation of the scheme,
- (6) cause to be made concurrent evaluation of implementation of the scheme,
- (7) lease with the State and Central Governments for accomplishing the objectives of the scheme,

R



- (8) act as final authority in the matters referred to by the municipality in connection with the disputes arisen during implementation of the scheme,
- (9) discharge any other function entrusted or delegated by the State Government.

- Designation of State Nodal Officer** 28. The Director of Urban Local Bodies or any officers authorized by him in this behalf shall be the State Nodal Officer for coordination of all matters relating to street vending at the State level.
- Reference of dispute and question to the Director of Urban Local Bodies** 29. In the event of any dispute or question arising in the exercising of powers under jurisdiction of the Town Vending Committee or relating to other matters, the dispute or question shall be referred to the Director of Urban Local Bodies whose decision shall be final.
- Composition of offences** 30. (1) The street vendor who contravenes or abets the contravention of the provisions of these rules or scheme made thereunder may be punished with fine which shall not be less than one thousand and five hundred rupees and not more than two thousand rupees for every offence as may be determined by the Municipality.  
(2) Notwithstanding anything contained in sub rule(1), any offence punishable under these rules may be compounded by the Municipal Commissioner or the Executive Officer or any officer authorized in this behalf, on realization of the amount of the thousand rupees as compounding fee.

  
(kumar kamlesh)  
principal Secretary

Name of the Municipality.....

Serial Number.....

Latest  
coloured  
photo of  
Street  
Vendor

**Survey Form for Street Vendor**  
(see rule-12)

1. Name.....
2. Gender.....
3. Name of Father /  
other/Spouse.....
4. Address : i. Local .....  
ii. Permanent .....
5. Age.....
6. Identity Card (If available): i. Identity card number.....  
ii. Designation of Issuing Authority.....
7. Religion.....
8. Mobile Number (If available) /Telephone no .....
9. Qualifications.....
10. Bank Accounts Number( if any ).....Name and Branch of the  
Bank.....
11. Details of the family:

Sl. No.	Name	Age	Relationship with street vendor

## 12. Details of the street vending

Sl. No.	Name of Business	Place of Business	Experience in Business	Date of entering in Business	Money invested in Business	Monthly Income	Duration of the Business	Others

## 13. Category of Street Vending (Stationary/Mobile):

**a. Stationary Street Vending**

- i. If stationary, name of place, locality and ward of vending activity.....
- ii. Boundary.....
- iii. Area of land for street vending activity.....
- iv. Name of the products/services for vending.....

**b. Mobile Street Vending**

- i. If mobile, starting place and ending place of street vending. (From-----to-----)
- ii. Mode of Mobile Street Vending (on *Thella*, on Bicycle, on Head, Others).....
- iii. Name of the products/services for street vending.....

**c. Vendor of weekly markets**

- i. Details of day wise weekly markets .
- ii. Name of the place , locality and ward of each weekly market.
- iii. Bounder of each weekly vending market .
- iv. Name of the products /services of vending.

11. i. Is ration card available ? Yes.....No.....
- ii. If yes, is it Above Poverty Line or Below Poverty Line or Antyodaya
- iii. Ration card number and name of Issuing Office.....

12. Category: Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Minorities/Women/Physically Disabled.....

13. Other

details.....

Signature of surveyor

Date of survey

Signature of the street vendor



Name of the Municipality .....

Latest  
coloured  
photo of  
Street  
Vendor

Serial Number .....

**Application Form/Undertaking for Registration of Street Vendors**  
(see rule-12)

1. Name .....
2. Gender .....
3. Name of Father /  
Mother/Spouse .....
4. Address : i. Local .....  
ii. Permanent Address .....
5. Age .....
6. Identity Card (If available): i. Identity card number .....  
ii. Type of Identity card .....
7. Mobile Number (If available)/Telephone no .....
8. Qualifications .....
9. Details of the family:

Sl. No.	Name	Age	Relationship with street vendor

## 10. Details of the street vending

Sl. No.	Name of Business	Place of Business	Experience in Business	Date of entering in Business	Money invested in Business	Monthly Income	Duration of the Business	Others

## 11. Category of street vending (Stationary/Mobile/ vendor of weekly market):

- i. If stationary, name of place, locality, ward, area of land and goods .....

ii. If mobile, name of locality, ward, name of goods and mode

12. Duration \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ street  
vending.....

13. Ration card number and name of Issuing Office.....

14. If belonged to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward  
Classes/ Minorities/Women/Physically Disabled.....(Attach  
Attested copy of Certificate)

15. Registration fees.....

### Undertaking

I ..... son/daughter/wife of Mr, ..... declare  
that:-

- i. I shall carry out the business of street vending myself or through any of my family member;
- ii. I don't have any other means of livelihood;
- iii. I shall not transfer in any manner whatsoever, including rent, the certificate of vending or the place specified therein to any other person.

Date-

Signature of Street Vendor



Name of the Municipality.....

Serial Number

Latest  
coloured  
photo of  
Street  
Vendor

**Certificate of Vending**

(see rule-14)

Name of street vendor Mr./Mrs..... Vendor Code.....  
 ..... Father/Spouse Name..... Present place of  
 Residence.....

As per decision of the meeting of Town Vending Committee dated..... you  
 are granted stationary/mobile/ weekly market street vending certificate for zone  
 ..... market/locality ..... road..... (ward.....)  
 (.....sq. meter area) temporarily from morning.....AM.....to  
 evening.....PM..... valid till 31<sup>st</sup> March ..... of which the demarcation  
 and restriction for the vending activity are as follows:-

Demarcation for Stationary Vending:      Movement area for Mobile Vending

East.....

West.....

North.....

South.....

**Terms & Conditions**

1. There shall be restrictions to build permanent structure for stationary vending;
2. Street vendor shall pay the fees as determined by the Town Vending Committee regularly and timely;
3. Waste produced during street vending shall not be thrown on road, footpath, or in drains or sewer line. The waste shall be collected in a dustbin and be handed over to the agency authorized by the municipality for door to door collection. For this service, they have to pay monthly user charges;
4. Every street vendor shall maintain cleanliness in the place of vending and the adjoining areas. Food street vendors selling eatables shall maintain public health and personal hygiene;
5. Vending shall be carried on only in the allotted place and time mentioned in the vending certificate. The contravention shall be treated as violation of the Act and this scheme and the vendor shall be liable to a penalty as determined under the provisions of the Act which includes the cancellation of the vending certificate;
6. Street vendor shall ensure maintenance of civic amenities and safety of public property in the vending place and adjoining areas;
7. Street vendor shall ensure that smooth flow of traffic/vehicles and public convenience are not hindered due to vending activities;

8. The streets vendors shall not sell prohibited goods. They shall not do any such activity/ work/ business/service which pollutes the environment or causes public hindrance;
9. If necessary, street vendor may be relocated under the provisions of section 18 of the Act to the adjoining vending zone on the availability of space.
10. Street vendor shall have to follow the directives issued by the Town Committee Vending, the municipality and the State Government;
11. On violation of any of the conditions mentioned above by the street vendor, a penalty in accordance with the provisions of the Act which also includes cancellation of certificate of vending shall be imposed on vendor.

Date-

Authorized Officer  
Town Vending Committee

*de*



Name of the Municipality.....  
**Notice for cancellation/suspension of Street Vending Certificate**  
(see rule-17)

Serial Number

To,

Mr./Ms.....Vendor Code.....Father/  
Husband's Name.....Address of Present Residence/Communication  
Address of Street Vendor

In reference to your application to the Town Vending Committee and its approval dated.....vide letter no.....dated.....you have been given certificate of vending with certain terms and conditions for stationary/mobile street vending at zone.....market/locality...road.....(ward.....).....metersX.....meters(.....sq. meter area)

Now, this is to inform you that:

1. You have committed breach of following terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under the Act or rules or schemes made there under:-
  - (a).....
  - (b).....
  - (c).....
2. You have secured the certificate of vending through misrepresentation or fraud or false information which is /are as follows-
  - (a).....
  - (b).....
  - (c).....

In the light of the above , you are required to present in person and submit your opinion supported by necessary documents on dated----- . In case you fail to give satisfactory explanation within the specified time as mentioned above, it shall be deemed that you have nothing to say in the matter. As a result, the vending certificate issued in favour of you shall be cancelled. During the investigation, your vending certified shall remain suspended.

Date-

Signature of Authorized Officer  
Town Vending Committee



Name of the Municipality .....

**Notice for Relocation of Street Vendors**  
(see rule-19)

Serial Number .....

To,

Mr./Ms.....Vendor Code.....Father  
/Husband's Name.....Address of Present Residence/Communication  
Address.....of.....Street Vendor

In reference to your application to the Town Vending Committee and its approval dated.....vide letter no.....dated..... you have been issued a certificate of vending with certain terms and conditions for stationary/mobile street vending at zone.....market/locality.....road.....(ward.....).....meters  
X.....meters(.....sq. meter area)

Now, this is to inform you that due to-

1. pressure of transportation and overcrowding widening and other development works on the road,
2. construction of metro/flyover on the road .....is proposed,
3. zone or part of it , have been declared a no vending zone ,
4. hindrance in smooth flow of traffic and transport,
5. law and order problem ,
6. emergent situation,

(vii) number of vendors being excess the absorption capacity of the Vending Zone,  
(viii) any other (specify)

It is not permissible to continue vending activities at the place or area mentioned in the certificate of vending issued to you.

You are therefore, directed to vacate the place specified in the certificate of vending within thirty days from the date of issue of this notice. In case you fail to vacate the place , after the expiry of the period specified in the notice , you shall be liable to pay for every day of such default , a penalty which may extend up to two hundred and fifty rupees under section 18(5) of the Act.

Further, you may be relocated to following place or area or from the present place of vending-

- (1)
- (2)
- (3)

Date-

Signature of Authorized Officer  
Municipality



25

Form-6

Name of the Municipality.....

**Notice for Eviction of Street Vendors**  
(see rule-20)

Serial Number

To,  
Mr./Ms..... Vendor Code..... Father/Husband's Name.....  
Address of Present Residence/Communication Address of Street Vendor  
.....

In reference to your application to the Town Vending Committee and its approval dated..... vide letter no..... dated..... you have been granted certificate of vending with certain terms and conditions for stationary/mobile street vending at zone..... market/locality..... road..... (ward.....)..... meters X..... meters (..... sq. meter area)

Now, this is to inform you that:

1. The vending certificate issued to you has been cancelled vide order no----- -date-----under section 10 of the Act.
2. You are indulged in vending activities without a certificate of vending .
3. Any..... other reason.....

Therefore, this is to inform you through this notice that you have to remove your vending activity from the area/market/street..... in the light of above mentioned fact at the serial number..... within thirty days. If you will not vacate the place within specified time you shall be evicted physically in accordance with the provisions of section 18(4) of the Act.

This is also to inform you that if you fail to vacate the land within specified time which is mentioned in the notice, you shall be liable to pay for every day of such default, a penalty which may extend up to two hundred and fifty rupees per day.  
Date-

Signature of Authorized Officer  
Municipality

de

Name of the Municipality.....

**Identity Card of Street Vendor**  
(see rule-22)

Serial Number

1. Code Number of street vender.....
2. Name of vendor.....
3. Father/Spouse name.....
4. Address.....
5. Mobile number.....
6. Nature of Business.....
7. Category(Stationary/Mobile/vendor of street market)
8. Place of Street Vending/Vending Zone.....
9. Duration of Street Vending: From ..... To .....
10. Name of nominee.....
11. Validity.....

Latest  
coloured  
photo of  
Street  
Vendor

Date-

Signature of Authorized Officer  
Town Vending Committee

